

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

330] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 1975/भाद्र 6, 1897

330] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1975/BHADRA 6, 1897

[भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th August 1975

S.O. 454(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947. (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twentieth Amendment Order, 1975.
2. In the Exports (Control) Order, 1968, in O.G.L., 4 in column 4:

(a) against S. No. 7 the name of the canalizing agency shall be substituted by the following :

“SAIL International Ltd.”

(b) against S. No. 15 the name of the canalizing agency shall be substituted by the following :

“Jute Corporation of India”.

[No. E(C)O, 1968/AM(165)]

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1975

का० आ० 454 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) बीसवां संशोधन आदेश, 1975 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश में, खुला सामान्य लाइसेंस कालम 4 में:—

(क) क्रम संख्या 7 के सामने सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी के नाम के स्थान पर निम्नलिखित नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“सेल इंटरनेशनल लि०”

(ख) क्रम संख्या 15 के सामने सरणीबद्ध करने वाली एजेंसी के नाम के स्थान पर निम्नलिखित नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“भारत का पटसन निगम”

[सं० ई० (सी०) ओ०, 1968/ए० एम० (165)]

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।